

मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्
MADHYA PRADESH MEDICAL COUNCIL- BHOPAL

(Estb. on 1-4-1996 U/s 3 of the Madhya Pradesh Ayurvedigyan Parishad Adhiniyam 1987)
(M. P. Act No. 11 of 1990)



Tele: (0755) 2767786
(0755) 2551568
Email: registrar.mpmc@mp.gov.in

F-7, Sanchi Complex,
Opp. Board Office,
Bhopal (MP) 462 016
Web: www.mpmcmedicalcouncil.net

क्रमांक एमपीएमसी / रजि / 2020 / 2126


भोपाल दिनांक 04.04.2020

// आदेश //

एमबीबीएस छात्रों जिनकी इन्टर्नशिप मार्च/अप्रैल, 2020 में पूर्ण हो चुकी है उन्हें अपने मेडिकल कॉलेजों में पहुँचने में कठिनाई होने तथा वर्तमान परिस्थितियों एवं कोविड 19 की अत्यावश्यक सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल द्वारा उन्हें चिकित्सा सेवाएं प्रदान किये जानें हेतु उनका स्थायी पंजीयन किया जाता है।

वर्तमान परिस्थितियों के सामान्य होने के उपरांत ऐसे समस्त चिकित्सा छात्रों द्वारा पूर्व में प्रचलित व्यवस्था अनुसार स्थायी पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने होंगे, जिन्हें मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल द्वारा नियमानुसार मान्य किया जाकर स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं पदेन अध्यक्ष
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल द्वारा निर्देशित।



(डा० सुबोध मिश्रा)

रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल,
भोपाल

पृ०क्रमांक एमपीएमसी / रजि / 2020 / 2127
प्रतिलिपि—

भोपाल दिनांक 04.04.2020

1. सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिकरण में शासी बोर्ड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, जबलपुर।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
9. प्राचार्य/अध्यक्ष शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं दंत चिकित्सा परिषद्, इन्दौर।
10. पंजीयन शाखा म० प्र० मेडिकल कौंसिल, भोपाल।


(डा० सुबोध मिश्रा)

रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल,
भोपाल